भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3281

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

वेतन संबंधी अदालती मामले

3281. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी और पुनरीक्षण याचिका में खारिज किए गए वेतन संबंधी आदालती मामलों में समान स्थिति वाले आवेदकों को लाभ प्रदान करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सरकार द्वारा दायर एसएलपी 18423-18429/2023 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 11687/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समान स्थिति वाले आवेदकों को लाभ देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि उपुर्यक्त मामले में सरकार के पास और कोई न्यायिक अवसर नहीं है; और

(घ) क्या उक्त मामले में समान स्थिति वाले आवेदकों के निर्णय को लागू न करके सरकार ऐसे आवेदकों को संपूर्ण देश के विभिन्न अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जाने और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से तय किय गए मामले के समान याचिका दायर करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिससे न्यायालयों में मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और माननीय न्यायालयों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश न्यायालय के निदेशों के अनुसार लागू किए जाते हैं।

(ख): जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 18423-18429/2023 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 11687/2024 को दिनांक 18 जुलाई, 2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

(ग) और (घ): एसएलपी संख्या 18423-18429/2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू करने के लिए सहमति बनी है।

****